(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2047–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–5–16 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, कसरावद प्रकरण कमांक 19/अ–6/अपील/2014–15.

रामेश्वर पिता तुलसीराम
निवासी ग्राम सिनगुन
तहसील कसरावद जिला खरगोन .....आवेदक

विरूद्ध

हिरू बाई उर्फ सुमनलता
पिता तुलसीराम पति त्रिभुवन मलतारे
निवासी ग्राम सिनगुन
तहसील कसरावद जिला खरगोन .....अनावेदक

श्री पंकज अजमेरा, अभिभाषक, आवेदक
श्री त्रिभुवन मलतारे, अभिभाषक, अनावेदिका

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 7/6/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, कसरावद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–5–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार, कसरावद के प्रकरण कमांक 31/अ–6/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 9–2–2007 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, कसरावद के समक्ष दिनांक 29–5–15 को लगभग 7 वर्ष से भी विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि प्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत

किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 19/अ–6/अपील/2014–15 दर्ज कर दिनांक 12–5–16 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका तहसील न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई है, और उसके द्वारा कथन किये गये हैं, इस स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदिका द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में 2555 दिवस के विलम्ब का कोई समाधान कारक कारण नहीं दर्शाया गया है, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका को प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण दर्शाना चाहिए था, जो कि नहीं दर्शाया गया है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष कूटरचित दस्तावेजों तथा बगैर प्रकिया का पालन किये निर्णय पारित करा लिया गया था, जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

(2) निगरानी का स्कोप सीमित होता है, और यदि निगरानी में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाता है, तब प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण हो जायेगा ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी प्रकरण के गुण–दोष एवं स्थिति पर विचार कर उदारपूर्वक निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किये गये विलम्ब क्षमा में हस्तक्षेप इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अभिलिखित सहखातेदार हीरूबाई का नाम कम करने की कार्यवाही बिना किसी ठोस आधार के की गई है, जो कि प्रथमदृष्टया संदिग्ध प्रतीत होती है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, कसरावद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–5–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर